न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री परशुराम धानका, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 69/21 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2021/190

उनवान

ईश्वरीप्रसाद आयु 63 वर्ष पुत्र श्यामलाल, जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम पिपहेरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. दाताराम पुत्र श्यामलाल } जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम पिपहेरा तह0 सैपऊ जिला धौलपुर
2. घूरे पुत्र रामखिलाडी } (राज0)
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बसई नवाब जरिये शाखा प्रबन्धक।
4. पंजाब नेशनल बैंक शाखा सैपऊ जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा सैपऊ जरिये शाखा प्रबन्धक।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 का0 अ0 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, सैपऊ दि0 04.03.2021 प्र.सं. 20/18 उनवानी दाताराम बनाम ईश्वरी।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री योगेश शर्मा उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक– 30.01.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सैपऊ के निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2021 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 संख्या 01 दाताराम ने एक दावा बाबत् बॅटवारा काश्त व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादी एवं शेष रैस्पो0, इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी का पक्षकारो के मध्य, राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्सेनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड बॅटवारा किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई गुणावगुण के आधार पर दिनांक 21.08.2019 को प्राथमिक डिक्री पारित करते हुये, तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलव किये जाकर,

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

अपीलाधीन आदेश से अन्तिम डिक्री पारित कर दी। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बाबजूद सूचना अनुपस्थित रहें। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट एवं रैस्पो0 संख्या 02 घूरे के विरूद्ध दिनांक 21.08.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही पारित की थी। अपीलाण्ट पर अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी सम्मन पर तामील नहीं हुयी। रैस्पो0 दाताराम ने अपीलाण्ट की फर्जकारी पूर्ण तरीके से नोटिसो पर स्वयं हस्ताक्षर कर तामील कराई गयी। लिहाजा अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का कोई अवसर नहीं मिला। विभाजन प्रस्ताव भी विधि अनुसार नहीं हैं। विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा बनाये गये हैं। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय तहसीलदार मौके पर नहीं गये। जबकि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर पक्षकारो की उपस्थिति में बनाये जाने का प्रावधान है। प्रकरण में विवादित भूमि की सिंचाई अब तक खसरा नम्बर 844 गैर मुमकिन कुँआ से होती रही है एवं उक्त खसरा नम्बर अन्य खसरा नम्बरान से कीमती है। परन्तु उक्त खसरा नम्बर को रैस्पो0 दाताराम को दिया गया है। यह भी है कि सिंचाई का साधन कुँआ होने की वजह से विभाजन योग्य नहीं था। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुये, पुनः पक्षकारो की मौजूदगी में अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी के विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार की उपस्थिति में बनाये जाने हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रेतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. मियाद के संबंध में अपीलाण्ट के तर्क रहे हैं कि चूंकि अपीलाण्ट पर अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी सम्मन की तामील नहीं हुयी एवं ना ही उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का मौका मिला। अतः उन्हें प्रकरण की जानकारी नहीं थी। रैस्पो0 द्वारा विवादित आराजी से बेदखल करने पर अपीलाण्ट को प्रकरण की जानकारी हुयी। तत्पश्चात् जानकारी की दिनांक से अपील अपीलाण्ट मियाद अन्दर शुमार माने जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अपीलाण्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक पक्षीय कार्यवाही हुयी है। इसलिये उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में कोई सुनवाई का मौका नहीं मिला। लिहाजा मियाद के संबंध में अपीलाण्ट के कथन तर्कसंगत है। वैसे भी मियाद के बिन्दु पक्षकारों के अधिकारों को समाप्त करने हेतु नहीं होते, अपितु पक्षकारों को वास्तविक न्याय देने हेतु तकनीकी बिन्दुओं को नजरंदाज

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

करते हुए प्रकरण को मैरिट पर निस्तारित करना चाहिये, इस सर्वमान्य सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुये, हम अपील पेश करने में हुयी देरी को क्षमा करना उचित समझतें हैं।

6. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये जाकर, हल्का पटवारी ने बनाये हैं। क्योंकि विभाजन प्रस्ताव हल्का पटवारी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ के आदेश एवं तहसीलदार, तहसील सैपऊ के आदेशो का हवाला देते हुये तहसीलदार को पृष्ठाकंन किये गये हैं। नियमानुसार विभाजन के प्रकरणों में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 नियम 18 से 21 के प्रावधानों की पालना की जानी चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त नियमों की पालना दृष्टिगोचर नहीं होती है। विधि अनुसार, विभाजन हेतु तहसीलदार स्वयं को मौका निरीक्षण व जोतों के विभाजन हेतु प्रस्ताव तैयार करना आवश्यक है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को सुनवाई का मौका भी नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में न्यायहित को ध्यान में रखते हुए, हम प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उक्त नियमों की पूर्ण पालना करते हुए, विवादित आराजी को नियमानुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुए, पुनः कानूनसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सैपऊ के निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2021 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करें। पक्षकारान् को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 03.03.2023 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर